105

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : दो–निगरानी/सतना/भू.रा./2018/509 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–12–2017 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 783/2006–07 अपील

हीरा सिंह पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ सिंह
ग्राम तुर्की तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

राम नारायण सिंह पुत्र स्व. लालमन सिंह
ग्राम तुर्की तहसील रामपुर वाघेलाल
जिला सतना मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रमोद पाण्डेय)

आ दे श

(आज दिनांक 08 – 08 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 783/06–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–12–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार प्रभारी वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर वाघेलाल ने प्रकरण क्रमांक 17 अ 27/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 19–2–2007 से उभय पक्ष के बीच सामिलाती भूमियों का बटवारा

किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण कमांक 107/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-2007 से तहसीलदार का बटंवारा आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः जांच एंव हितबद्व पक्षकारों सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 4-6-2007 विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 783/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-12-17 से अपील निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 4-6-2007 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परलक्षित है कि तहसीलदार प्रभारी वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर वाघेलान के आदेश दिनांक 19-2-2007 को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने आदेश दिनांक 4-6-2007 के पद 4 में इस प्रकार निष्कर्ष देते हुये निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है :-

(4). म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में स्पष्ट किया गया है सहभूमिस्वामियों के भूमि का बटनवारा तहसीलदार व्दारा सुनवाई पश्चात् विभाजन किया जा सकता है। रे0नि0 1996 पेज 219 धनलाल वि. मिश्रीलाल में स्पष्ट किया गया है कि अभिलेख की सुद्वि के बिना विभाजन की उपधारणा नहीं की जा सकती है। विवादित भूमियों में उभय पक्ष भूमिस्वामी के रूप में उल्लेखित हैं। रे.नि. 1998 पेज 263 फूलचंद विरूद्व पन्नालाल में स्पष्ट किया है कि नामान्तरण कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है। खसरा के आधार पर संक्षिप्त जांच करते हुये विनिश्चय की जाना चाहिये। अरजिस्ट्रीकृत कौटुम्बिक समझौता पत्र के आधार पर हक का प्रश्न उठाया गया। राजस्व न्यायालय व्दारा विनिश्चत् नहीं किया जा सकता - उापचार सिविल न्यायालय के समक्ष है।

अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न नकल खसरा वर्ष 2001-02 के अनुसार विवादित भूमियों का 1/2 हिस्सा उभय पक्ष के मध्य दर्शित है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय व्दारा जो आदेश पारित कियां गया है वह संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत है। स्वत्व के विनिश्चयन का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 4-6-2007 में उक्तानुसार निष्कर्ष देते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 19-2-07 को निरस्त करके प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 783/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-12-17 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश स्वरूप तहसील न्यायालय में दोनों पक्षों को लेखी एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 783/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-12-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर